रामदेव v/s इमरती आदि
50/2013

25-4-22	विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट् रामदेव पुत्र मोडाराम का स्वर्गवास दिनांक 05–05–2021 को होने के उपरान्त भी अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 16 द्वारा इस संबंध में दिनांक 15–12–21 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् के फौत हुए करीग 7 माह से अधिक समय व्यतीत होने के करण अबेट होने कथन करते हुए अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज करने की मांग की गई। इस संबंध में अपीलांट् के अधिवक्ता को व्यक्गित् रूप से दिनांक 06–04–2022 को आगामी दो दिवस में अपीलांट् रामदेव के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु सूची प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करते हुए अपील को अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने अथवा अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज करने के आदेश हेतु रिर्जव रखा गया। प्रकरण में अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 25–04–2022 अर्थात अपील को आदेश हेतु रिर्जव रखने के 21 दिन के उपरान्त भी अपीलांट् रामदेव पुत्र मोडाराम के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट् के वारिसान अपील को आगे चलाने के इच्छुक प्रतीत नहीं होते है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् पर्याप्त समय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने के बावाजूद भी अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 3 में स्पष्ट रूा से अभिलिखित किया गया है कि मृतक व्यक्ति के वारिसन को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निर्धारित अवधि, मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर–भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रस्तुत अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है तथा उक्त आश्य की मांग रेस्पोडेन्ट संख्या 16 द्वारा की जा चुकी है। न्यायालय अन्तहीन समय तक अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु इंतजार नहीं कर सकता ना ही अन्य पक्षकारों को उनकी विधिक मांग से वंचित ही रखा जा सकता है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साबित है कि अपीलांट् के वारिसान अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहे है नाही उनके स्वयं के द्वारा अपने हितों की सुरक्षार्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही की गई है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में के आदेश 22 नियम 9 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपीलांट् की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

25/4/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर